कार्यालय अधिष्ठाता एवं मुख्यकार्यपालन अधिकारी
शासकीय गॉधी चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी समिति, भोपाल

वेबसाईट: wwwgmc Bhopal फोन : 0755–4050000

कंमाक / अधि0 / एनएचएम(6) / 2020 / भोपाल, दिनांक

विज्ञप्ति

मिशन संचालक, एनएचएम भोपाल के पत्र कमांक 12805 / एनएचएम / एचआर / सेंल–1 / 2020, दि0 30 / 09 / 2020 द्वारा दिये गये स्वीकृति अनुसार कोविड 19 महामारी रोकथाम हेतु अधिष्ठाता, गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल में अतिरिक्त मानव संसाधन की अस्थायी, स्वीकृति निश्चित मानदेय पर दि0 31.12.2020 तक प्रदान की गई है ।

क्र.	पदनाम	योग्यता	कुल पद	मासिक मानदेय प्रतिमाह
1.	स्नातकोत्तर चिकित्सा अधिकारी (डिग्री / डिप्लोमा) विषय विशेषज्ञ	1.एम.डी. मेडिसिन,	08	रू 1,25,000 / – (डिग्री)
		2. एम.डी. / डिप्लोमा एनेस्थिसिया	07	रू 1,10000 / – (डिप्लोमा)
2.	आवेदन जमा करने की तिथि दिनांक 19–10–2020 सांय 04 बजे तक।			
3.	आवश्यकता अनुसार पदों की संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है।			

इच्छुक उम्मीदवार आवेंदन शुल्क रू 100 / – को आनलाईन, CEO & Dean Gandhi Medical College, Bhopal के खाता कमाक **10625211248** IFSC code **SBIN0010140 SBI GMC Bhopal** में जमा कर उसकी रसीद के साथ **दिनांक 19–10–2020 तक कार्यालीन समय, सायं 4 बजें तक** अपने निर्धारित शौक्षणिक योग्यता, सक्षम अधिकारी का अनुभव प्रमाण पत्र एवं मूलनिवासी एवं जाति प्रमाण पत्र के मूलदस्तावेजो की एक स्वप्रमाणित छायाप्रति के साथ अधिष्ठाता कार्यलय गॉधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल मे जमा करे। **निर्धारित दिनांक के पश्चात आवेदन मान्य नही किया जायेगा।**

पूर्व में जमा समस्त आवेदन इस विज्ञप्ति के लिये के मान्य नही होगे। विज्ञापन के लिये प्राप्त आवेदन कीं स्कूटनी मे पात्र आवेदको के चयन आदेश की सूचना कालेज की वेंबसाईट पर प्रकाशित की जायेगी। जिन्हे आदेश प्रकाशन के तीन दिवस के भीतर अधिष्ठाता कार्यालय में कार्यालयीन दिवस में उपस्थिति देनी होगी।

दस्तावेजः अभ्यार्थी को म0प्र0 चिकित्सा परिषद का जीवित पंजीकरण, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी डिजिटल जातिप्रमाण पत्र व अन्य दस्तावेजो की स्वप्रमाणित छायाप्रति जमा करना अनिवार्य होगा। किसी भी प्रकार से दस्तावेज पूर्ण न होने की स्थिति में आपके आवेदन पर विचार नही किया जायेगा।

कोविड–19 महामारी की रोकथाम करने हेतु अतिरिक्त मानव संसाधन की आवश्यकता को देखते हुए आयु और वर्ग के मानक को शिथिल किया गया है। सभी 21 वर्ष से 60 वर्ष के आयु एवं वर्ग के पद अनुसार पात्र आवेदक ही आवेदन कर सकते है। नियुक्ति अस्थायी दिनांक 31.12.2020 तक के लिए है।

आयुक्त चिकित्सा शिक्षा के पत्र क 1493 / पीजी / 4 / सचिशि / 2020 भोपाल दिनांक 21.09.2020 अनुसार कोविड –19 महामारी के दृष्टिगत स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम डिग्री / डिप्लोमा मेडिसिन, एनेस्थरिया एवं पॉलमोनोलॉजी के उत्तीर्ण छात्र / छत्राओं की सेवाओं विभिन्न शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में स्वीकृत पीजीएमओ के पदो के विरूद्ध अस्थायी रूप से कोविड–19 ड्यूटी कार्य करने हेतु लिये जाने पर सेवा की अवधि उनके द्वारा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने के उपरांत की जाने वाले ग्रामीण सेवाओ की अवधि में विकलनीय होगी। यह केवल शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय से उत्तीर्ण छात्र / छात्राओं पर लागू होगा।

Scanned with CamScanner

चयनित आवेदक नियुक्ति अवधि समांप्त होने के पश्चात संविदा या नियमित नौकरी के लियें पात्र नही माना जायेगा और न ही इसके लिये कोई दावा करेगा।

इस कार्यलय को बिना कारण बताये किसी भी समय यह विज्ञप्ति मे आशिंक रूप में परिवर्तन अथवा निरस्त करने का पूर्ण अधिकार है। अधिष्ठाता गांधी चिकित्सा महाविद्यलय, भोपाल का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा। किसी भी विवाद की स्थिती में केवल न्यायालय भोपाल में परिषद हेंतु मान्य रहेगा।

अधिष्ठाता एवं मुख्यकार्यपालन अधिकारी
गॉधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल

Scanned with CamScanner